



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3552 सन् 2026

शिवम सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नितेश पटेल, उदित चंद्र

उत्तरदातागण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उदित चंद्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह स्वर्गीय राम प्रकाश का पुत्र है, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (जीप चालक) के रूप में सेवारत था, जिसे 28.08.1987 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, उसकी सेवाएं 19.04.2004 को नियमित हो गईं और 02.11.2023 को उनकी मृत्यु हो गई।
3. वर्तमान याचिका में अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय दूसरे उत्तरदाता, निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रतिवाद में इस प्रकार की दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता **27.03.2026** तक दूसरे उत्तरदाता, निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, दूसरा उत्तरदाता दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय स्वीकार्यता, उपयुक्तता और प्रतिस्पर्धी दावों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए करेगा।

मार्च 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"